फर्द अहकाम

रेवा मेही बनाम ...

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ

केस संख्या. 28/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	11/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 18/11/24 को पेश हो।
	18/11/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. के अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 19/11/24 को पेश हो।
	19/11/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. के अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 21/11/24 को पेश हो।
	21/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 22/11/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ
	22/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। पत्रावली आदेश के लिए विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस का मनन किया गया।

फर्द अहकाम

रेखा देवी **बनाम** कालूराम वगै०

म न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

स संख्या 28/2024

म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि० को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक कुर्रेजात के वाद को तकासिमा हेतु निर्णय किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली [illegible] होकर नायब से [illegible] होकर बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

(53)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
28/2024	05/03/2024	22/11/2024

1. रेखा मेठी पत्नि संजय कुमार मेठी जाति महाजन निवासी डी–22 मीरा मार्ग, बनीपार्क जयपुर।

वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र नारायण जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी पटेलों की ढाणी ग्राम चावण्ड का मण्ड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण।
2. किशनलाल पुत्र पन्नालाल जाति मीणा निवासी ग्राम बालकिशनपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण।
3. छोटादेवी पुत्री मनफूल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी बालकिशनपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण।
4. बबूलाल पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी तिबारा की ढाणी ग्राम चक चैनपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण।
5. भोमाराम पुत्र नारायण जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी पटेलों की ढाणी ग्राम चावण्ड का मण्ड तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण।
6. रामकिशोर पुत्र मनफूल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी बालकिशनपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण।
7. लाडादेवी पुत्र मनफूल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी बालकिशनपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
8. श्रवणलाल पुत्र मनफूल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी बालकिशनपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण।
9. हरिनारायण पुत्र धन्नालाल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी सायपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राज0।

<u>प्रतिवादीगण</u>

<u>उपस्थित अभिभावक</u>
श्री रमाशंकर शर्मा :– वकील वादी।

<u>दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा</u>

<u>अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट</u>

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री रमाशंकर शर्मा ने यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 383 रकबा 2.6400है0 स्थित ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में वादी एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस–नरस के अनुसार कब्जे को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

43

कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 03.05.2024 को प्राथमिक डिकी किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
कालूराम पुत्र नारायण हि0 9/836, भोमाराम पुत्र नारायण हि0 9/836, रामकिशोर पुत्र मनफूल हि0 10/209, श्रवणलाल पुत्र मनफूज हि0 10/209, हरिनारायण पुत्र धन्नालाल हि0 80/209 जाति हरियाणा ब्राहमण सा0देह खातेदार, किशनलाल पुत्र पन्नालाल हि0 15/209 जाति मीणा सा0बालकिशनपुरा, बाबूलाल पुत्र शंकरलाल हि0 1/22 जाति माली सा0शाहपुरा, रेखा मेठी पत्नि संजय कुमार हि0 80/209 जाति महाजन सा0देह खातेदार।	383	2.6400	चाही 3	—
योग	किता 1	2.6400	—	—

—: प्रस्तावित :—

प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
रेखा मेठी पत्नि संजय कुमार जाति महाजन सा0देह खातेदार	383/1	1.0105	चाही 3	—
योग	किता 1	1.0105	—	—
कालूराम पुत्र नारायण हि0 285/16295, रामकिशोर पुत्र मनफूल हि0 1263/16295, श्रवण पुत्र मनफूल हि0 1263/16295, हरिनारायण पुत्र धन्नालाल हि0 10105/16295 जाति हरियाणा ब्राहमण सा0देह, बाबूलाल पुत्र शंकरलाल हि0 1200/16295 जाति माली, किशनलाल पुत्र धन्नालाल हि0 1894/16295 जाति मीणा सा0बालकिशनपुरा, भोमाराम पुत्र नारायण हि0 285/16295 जाति हरियाणा ब्राहमण सा0देह	383/2	1.6295	चाही 3	—
योग	किता 1	1.6295	—	—

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

3/3

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 22/11/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ